



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226556
CG-MH-E-13042021-226556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 160]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धि पत्र

(मार्च 2021 के इस 16 वें दिन को पारित)

मुंबई, 18 मार्च, 2021

सं. टीएमपी/52/2019-जेएनपीटी.— इस प्राधिकरण ने आदेश संख्या टीएमपी/52/2019-जेएनपीटी दिनांक 01 जून 2020 द्वारा जेएनपीटी के दर मानों में सामान्य संशोधन से संबंधित इसके प्रस्ताव का निपटान कर दिया है। राजपत्र संख्या 216 द्वारा अधिसूचना और आदेश (दरमानों को अधिसूचित करते हुए) को 18 जून 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। हमारी ई-मेल दिनांक 22 जून, 2020 द्वारा दरमानों से जेएनपीटी और संबंधित उपयोक्ताओं को अवगत करा दिया गया है। तत्पश्चात, भारत के राजपत्र में 3 जुलाई 2020 को राजपत्र संख्या 251 द्वारा अधिसूचना और आदेश (सकारण आदेश से संबंधित) को अधिसूचित किया गया था। हमारी ई-मेल दिनांक 08 जुलाई, 2020 द्वारा अधिसूचना और आदेश (सकारण आदेश) से जेएनपीटी और संबंधित उपयोक्ताओं को अवगत करा दिया गया है।

2. जेएनपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 8 सितम्बर 2020 द्वारा एक शुद्धिपत्र पारित किया है जिसके द्वारा अधिसूचित दरमानों में जेएनपीटी द्वारा पता लगाई गई कुछ त्रुटियों में सुधार किया गया है। यह शुद्धिपत्र राजपत्र संख्या 409 द्वारा 06 अक्टूबर 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और हमारी ई-मेल दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा जेएनपीटी और संबंधित उपयोक्ताओं को इससे अवगत करा दिया गया है।

3.1. इस संबंध में, जेएनपीटी ने अपने पत्र संख्या जेएनपी/एफआईएन/एसओआर/टीएएमपी/2020-21/659 दिनांक 09 फरवरी 2021 द्वारा अपने संशोधित दरमान में मुद्रण संबंधी त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया है और उनमें सुधार करने और तदनुसार संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है।

3.2. त्रुटि का विवरण और उसमें किए जाने वाले सुधार का विवरण नीचे दिया गया है:

आदेश का संदर्भ	जैसाकि अधिसूचना में प्रकाशित है						निम्नानुसार पढ़ा जाना है					
3.3.1 (ग) क्र.सं.1												
	क्र.सं.	विवरण	दर प्रति टीईयू (₹ में)				क्र.सं.	विवरण	दर प्रति टीईयू (₹ में)			
			विदेशगामी पोत		तटीय पोत				विदेशगामी पोत		तटीय पोत	
			लदा हुआ	खाली	लदा हुआ	खाली			लदा हुआ	खाली	लदा हुआ	खाली
	01	1 – 3000 टीईयू	2704.97	2413.27	1829.87	1654.60	01	1 – 3000 टीईयू	4375.39	3792.01	2625.24	2275.20

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./24/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

(Passed on this 16th day of March, 2021)

Mumbai, the 18th March, 2021

No. TAMP/52/2019-JNPT.— This Authority vide Order No. TAMP/52/2019- JNPT dated 01 June 2020 has disposed the proposal of JNPT for general revision of its Scale of Rates. The Notification and Order (notifying SOR) was notified in the Gazette of India on 18 June 2020 vide G.No.216. The Scale of Rates has been communicated to the JNPT and the concerned users vide our email dated 22 June 2020. Thereafter, the Notification and Order (pertaining to Speaking Order) was notified in the Gazette of India on 3 July 2020 vide G.No.251. The Notification and Order (Speaking Order) has been communicated to the JNPT and the concerned users vide our email dated 08 July 2020.

2. Based on the request made by the JNPT, this Authority vide its Order dated 8 September 2020 has passed a corrigendum rectifying some errors found by the JNPT in the notified Scale of Rates. The Corrigendum has been notified in the Gazette of India on 06 October 2020 vide G.No.409, and has been communicated to the JNPT and the concerned users vide our email dated 13 October 2020.

3.1. In this connection, the JNPT vide its letter No. JNP/FIN/SOR/TAMP/2020-21/659 dated 09 February 2021 has pointed out a typographical error in its revised SOR and has requested to rectify them and make the changes accordingly.

3.2. The details of the error and the correction to be made are detailed below:

Reference to Order	As appeared in the Notification						To be read as given below					
3.3.1 (c) Sr. No. 1												
	Sr no.	Description	Rate per TEU (in ₹)				Sr no.	Description	Rate per TEU (in ₹)			
			Foreign container		Coastal container				Foreign container		Coastal container	
			Loaded	Empty	Loaded	Empty			Loaded	Empty	Loaded	Empty
	01	1 – 3000 TEUs	2704.97	2413.27	1829.87	1654.60	01	1 – 3000 TEUs	4375.39	3792.01	2625.24	2275.20

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Ext./24/2021-22]